

इंदौर विकास प्राधिकारी की योजना क्र. 94 रिंगरोड़ सेक्टर-एफ में आवासीय उपयोग के 01 भूखण्ड को भू-स्वामी अधिकार पर न्यूनतम दर के बराबर या अधिक दर पर व्ययन करने हेतु ऑनलाईन (Online) निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा का विवरण निम्नानुसार है :-

अ. क्र.	भूखण्ड क्र.	आरक्षित श्रेणी	क्षेत्रफल (व.मी.)	न्यूनतम दर (प्रति व.मी.)	अर्नेस्ट मनी (रु. लाख में)	लोकेशन
1	6/एफ.एम.	सामान्य	145.31	1,32,000	19.18	

ऑनलाईन निविदा प्रस्तुत करने की तिथियाँ

अ.क्र.	विवरण	दिनांक	समय
1	ऑनलाईन निविदा प्रपत्र कय करने की आरम्भ दिनांक एवं समय	12-07-2025	14:00 hrs.
2	ऑनलाईन अर्नेस्टमनी (प्रतिभूति राशि) जमा करने की अंतिम दिनांक एवं समय	01-08-2025	18:00 hrs.
3	ऑनलाईन आवेदन एवं ऑफर प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक एवं समय	04-08-2025	18:00 hrs.
4	ऑनलाईन निविदा प्रपत्र जाँच हेतु खोलने का दिनांक एवं समय	06.08.2025	12:30 hrs
5	पात्र निविदादाताओं के ऑनलाईन वित्तीय प्रस्ताव खोलने का दिनांक एवं समय	13.08.2025	12:30 hrs

नोट :-

- ❑ निविदा एम.पी.ऑनलाईन के पोर्टल <https://www.vikaspradhikaran.mponline.gov.in> पर देखी एवं कय की जा सकती है। निविदा में भाग लेने के लिये आवेदक को पोर्टल पर अपनी लॉग-इन आय.डी. बनाकर प्रोफाईल में आवश्यक जानकारी दर्ज करना होगी। आवेदक ऑनलाईन निविदा स्वयं अथवा एम.पी.ऑनलाईन कियोस्क सेन्टर के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है। एम.पी.ऑनलाईन का हेल्प डेस्क नंबर 0755-6720200 है।
- ❑ निविदा में भाग लेने हेतु निविदा प्रस्तुतकर्ता अर्नेस्टमनी (प्रतिभूति) राशि का भुगतान ऑनलाईन क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड / नेट बैंकिंग / आर.टी.जी.एस. के माध्यम से कर सकेगा।
- ❑ निविदादाता को अपने निविदा ऑफर (दर) ऑनलाईन देना होगी। सभी डाक्यूमेंट्स ऑनलाईन अपलोड करना होंगे। निविदादाता को पंजीयन राशि रसीद, पेन नंबर, निविदा प्रपत्र, निविदा की शर्तें आदि की प्रति स्केनिंग करके ऑनलाईन अपलोड करना होगी।
- ❑ निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन केवल वेबसाईट पर ही प्रदर्शित किया जायेगा, जिसे पृथक से समाचार-पत्रों में प्रकाशित नहीं किया जावेगा।
- ❑ सम्पत्ति की प्रीमियम की प्रथम 25 प्रतिशत राशि (अमानत राशि सहित) आरक्षण पत्र जारी होने के दिनांक से 1 माह की अवधि में जमा कराना होगी एवं शेष प्रीमियम की 75 प्रतिशत राशि आगामी 3 माह की अवधि में अर्थात् आरक्षण पत्र जारी होने के दिनांक से 4 माह की अवधि में जमा कराना होगी। निर्धारित समयावधि में प्रीमियम की राशि जमा न करने पर व्ययन नियम, 2018 के नियम 12 अनुसार सम्पत्ति की निरस्ती की कार्यवाही की जायेगी।
- ❑ प्राधिकरण को निविदा स्वीकार अथवा निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

मुख्य कार्यपालिक अधिकारी
इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर

अधिक जानकारी के लिए कार्यालयीन समय में मार्केटिंग सेल मे मो. 9893699113 पर संपर्क करें।
प्राधिकारी की वेबसाईट www.idaindore.org पर देख सकते हैं।